रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1986/अग्रहायण 14, 1908
No. 567] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1986/AGRAHAYANA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1986

सा. का. नि. 1254(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा 5 दिसम्बर, 1986 को उस तारीख के

रूप में, नियत करती है जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जहां तक उनका संबंध तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण, से है ।

[ए.-11019/82/86-ए. टी.]

एस. के. पार्थसारथि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 5th December, 1986

G.S.R. 1254(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby appoints the 5th day of December, 1986 as the date on which the provisions of the Act, in so far as they relate to the Tamil Nadu Administrative Tribunal, shall come into force.

[No. A-11019|82|86-AT]

S. K. PARTHASARATHY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986